ई–मेल

कार्यालय –सचिव, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,मोहान रोड ,लखनऊ।

पत्रांक– सी– 675 /औ0प्रा0शि0प0–परीक्षा–2019 / 2018–19 दिनांक 14 मार्च, 2019

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बन्धित जनपद,उ0प्र0

आगरा,इलाहाबाद,अम्बेडकरनगर,देवरिया,गाजियाबाद,गाजीपुर, फैजाबाद, उन्नाव, शाहजहाँपुर, झाँसी,आजमगढ,लखनऊ,महोबा ,फिरोजाबाद ,मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर,कुशीनगर,औरैया,सुल्तानपुर,सोनभद्र,जालौन, फतेहपुर,चन्दौली,इटावा,मथुरा,मुरादाबाद, सम्भल, भदोही,मऊ,वाराणसी, गोरखपुर,रामपुर,जौनपुर,बलिया,कानपुर नगर,बिजनौर, प्रतापगढ़ एवं जे0पी0नगर,।

कृपया अवगत कराना है कि, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2019 हेतु शुल्क जमा करने, परीक्षा फार्म प्राप्त व जमा करने,आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम, एवं निर्देश निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

निर्देश एवं कार्यकम

परीक्षा फार्म वितरित किये जाने की अवधि	परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि (सभी वर्ग के छात्रों के लिये रू –10.00 प्रति छात्र अतिरिक्त)	निर्धारित शुल्कों का विवरण (रूपये में)
22–03–2019 से 10–04–2019 तक	23–03–2019 से 20–04–2019 तक	21–04–2019से 25.04.2019 तक	1–परीक्षा फार्म शुल्क– 20.00 प्रति परीक्षार्थी सभी वर्गों के लिये। 2–परीक्षा शुल्क–अनुसूचित जाति / जनजाति 50.00 प्रति छात्र 3– पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति– 100.00 प्रति छात्र 4– व्यक्तिगत,सभी वर्गों के लिये 200.00 प्रति परीक्षार्थी

1. परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फार्म संस्था के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर से ही जमा की जाये।
2. संस्था स्तर पर गत वर्षों के अवशेष परीक्षा फार्म वर्तमान अथवा आगामी परीक्षाओं में अमान्य होंगे।
3. संस्था में सत्र 2018–19 में प्रविष्ट प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश सूची ट्रेडवार निम्न प्रारूप पर परीक्षा फार्म प्राप्त करते समय मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता का नाम	जाति	जन्म तिथि	प्रवेश तिथि	पत्र व्यवहार का पता	अन्य

4. ट्रेजरी चालान के सभी कालम स्पष्ट एवं पूर्णरूप से भरे जायें, तथा परीक्षा फार्म में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
5. निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद परीक्षा फार्म जमा नहीं किये जायेगे।
6. शुल्क **निदेशक,समाज कल्याण ,उत्तर प्रदेश,लखनऊ** के पक्ष में निम्न लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी (परिषद कार्यालय में नकद शुल्क प्राप्त नहीं की जायेगी)।

0235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

60–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

800–अन्य प्राप्तियॉ

01–समाज कल्याण विभाग की प्रकीर्ण प्राप्तियॉ

अतः कार्यक्रम की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि, कृपया अपने जनपद में संचालित संबन्धित समस्त औद्योगिक ए प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पी0के0मिश्रा)

सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः–

प्रतिलिपि–निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–**निदेशक,** समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 13.03.2019 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–**संयुक्त निदेशक,** (योजनाधिकारी) निदेशालय, समाज कल्याण उ0प्र0को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि,कृपया निदेशालय स्तर से उक्त जनपदों के जिला स0क0अधिकारी / जि0स0क0अ0 (विकास) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सचिव,